वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 21.02.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, जागरूक एक्सप्रेस, न्यायाधीश, तरुणमित्र न्यूज़,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 21.02.2025

वीडीए ने सील किए सात अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए की ओर से बृहस्पतिवार को सात अवैध निर्माण सील किए गए। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार शिवपुर वार्ड में भवानीपुर पिसौर मार्ग के मूलचंद्र पटेल की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा था। इन्हें नोटिस दिया गया था। इसी तरह सोनिया पर आरती दीक्षित के अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। दशाश्वमेध वार्ड में एसपी कटरा सोनिया के पास नारायण प्रसाद के अवैध निर्माण को सील किया। लक्ष्मणपुरा में प्रिय कुमार मणिक, जगतगंज के रमापुरी कॉलोनी के आशुतोष कुमार सिंह, चेतगंज में कमल सिंह के अवैध निर्माण को सील किया गया। ब्यूरो

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 21.02.2025

वीडीए ने सील किये कई क्षेत्रों में सात निर्माण

वाराणसी (जागरुक एक्सप्रेस)। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को शहर के विभिन्न इलाकों अभियान चलाते हुए बिना नक्शा स्वीकृत कराए बिल्डिंग का निर्माण करा रहे लोगों को नोटिस जारी करते हुए बिल्डिंग को सील कर दिया। सभी सील बिल्डिंग को पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। शिवपुर थाना क्षेत्र के पिसौर, भवानीपुर मार्ग पर मूलचंद पटेल, और भवानीपुर मार्ग पर अनिल कुमार के निमार्णाधीन भवन को सील के दिया। दोनों को पूर्व में ही बिना नक्शा निर्माण पर विभागीय नोटिस थमाई गई थी। निर्माण कार्य नोटिस के बाद भी जारी था जिस पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा के साथ पहुंची टीम ने निमार्णाधीन भवन को सील कर दिया। विकास प्राधिकरण की टीम ने दशाश्वमेध वार्ड में पांच स्थानों पर कार्रवाई की। सोनिया इलाके में नारायण प्रसाद की अवैध निर्माण को वीडीए ने सील कर दिया। नारायण प्रसाद को वीडीए ने निर्माण कार्य शुरु किए जाने के दौरान ही मानचित्र स्वीकृत करने का निर्देश दिया था और नोटिस भी थमाई थी। सोनिया में ही आरती दीक्षित 1000 वर्ग फीट में अवैध निर्माण कर रही थी। विकास प्राधिकरण ने इन्हें भी नक्शा पास करने के लिए अवसर दिया था। नोटिस के बाद भी मानचित्र स्वीकृत नहीं करने पर निमार्णाधीन बिल्डिंग को सील कर दिया गया। दशाश्वमेध वार्ड के लक्ष्मणपुरा निवासी प्रिया कुमार मानिक द्वारा कराई जा रहे अवैध निर्माण को विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया। चेतगंज वार्ड में रामपुरी कालोनी में आशुतोष सिंह और जगतगंज में कमल सिंह के अवैध निर्माण को वीडीए ने सील कर दिया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 21.02.2025

वाविप्रा सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा ने की विभिन्न जोनों के साप्ताहिक कार्यो की प्रगति की समीक्षा

वाराणसी। प्राधिकरण सभागार में 20 फरवरी को सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन.3 ;वाड.दशाश्वमेध. चेतगंज. चौक व कोतवाली जोन.4 ;भेलूपुर व नगवां जोन.5 ;रामनगर व मुगलसराय का साप्ताहिक कार्यो के प्रगति ;01.02.2025 से 15.02.2025 तक. कार्यो की समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में श्री परमानन्द यादव.अपर सचिव .प्रभारी अधिकारी ;भवन. जोन.3 के जोनल अधिकारी श्री सौरभ देव प्रजापति. अवर अभियन्ता श्री रविन्द्र प्रकाश. श्री रोहित कुमार. जोन.4 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार. अवर अभियन्ता.श्री सोनू कुमार व श्री आदर्श निराला एवं जोन.5 के जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जय प्रकाशए अवर अभियन्ता श्री अशोक कुमार यादव व मुख्य भवन लिपिक एवं अन्य लिपिकगण उपस्थित रहे।उक्त समीक्षा बैठक में आलोच्य अवधि में जमा शमन मानचित्र स्वीकृत शमन मानचित्र तावान शमन शुल्क की वसूली hUlw पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में ;वार्ड के टॉप.10 बकायेदारो आदि मुख्य बिन्दुओ पर समीक्षा की गयी। आलोच्य अवधि मे जोन.3 द्वारा कुल 09ए जोन.4 द्वारा कुल 06 व जोन.5 द्वारा कुल 03 कुल 18 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया। आलोच्य अवधि में जोन.3ए 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद मे वुन्ल रु0 57.52.293.00 प्राधिकरण कोष मे जमा हुआ। जोन.5 द्वारा गत माह ;फ़रवरी 2025. मे निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अत्यधिक कम शमन शुल्क जमा कराये जाने पर सम्बन्धित जोनल अधिकारी व अवर अभियन्ता को कारण बताओं नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। विस्तृत चर्चा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल डीजल सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनो के विरूद्ध कार्यवाही विन्यास व भवन

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि0 21.02.2025

वाविप्रा जोन-1 वार्ड- शिवपुर के अंतर्गत अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी

वाराणसी। उपाध्यक्ष वीडीए द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे जोन-1 वार्ड- शिवपुर के अंतर्गत मे अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी। इसके तहत वार्ड-शिवपुर के अन्तर्गत मूलचन्द्र पटेल पुत्र स्व0 रामजतन पटेल, भवानीपुर रोड, पिसौर रोड वार्ड-शिवपुर मे लगभग 158.00 वर्गमीटर मे अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसपर दिनांक-07.03.2024 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने हेतु पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। किन्तु मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया। अतः स्थल को आज दिनांक 20/02/2025 को सील कर पुलिस अभिरक्षा मे दे दिया गया। वार्ड-शिवपुर के अन्तर्गत अनिल कुमार सिंह पुत्र राजेश भवानीपुर रोड के पश्चिमख् एम0बी0ए0 मेमोरियल स्कूल के सामने वार्ड-शिवपुर आरती दीक्षित पतनी मीनू कुमार दीक्षित द्वारा भवन स0-डी0 62/43 एफ0-1 सोनिया रोड मे 232 वर्गमीटर में अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसपर पूर्व मे उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत दिनांक 01.02.2025 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने हेतु पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। किन्तु मानचित्र स्वीकृत नही कराया गया। अतः स्थल को आज दिनांक 20/02/2025 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता विजय सिंह तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करे अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश—दि0 21.02.2025

वीडीए द्वारा जोन-3, वार्ड-दशाश्वमेध, चेतगंज में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी

वाराणसी । वार्ड-दशाश्वमेध के अन्तर्गत नारायण प्रसाद पुत्र स्व0 पननलाल पता- भवन स0-डी0 62/4 एफ0-3 एस0पी0 कटरा, सोनिया मे लगभग 900 वर्गफीट मे अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसपर दिनांक-22.01.2025 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने हेतु पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। किन्तु मानचित्र स्वीकृत नही कराया गया। अतः स्थल को आज दिनांक 20/02/2025 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया। वार्ड-दशाश्वमेध के अन्तर्गत आरती दीक्षित पतनी मीनू कुमार दीक्षित द्वारा भवन स0-डी0 62/43 एफ0-1 सोनिया रोड मे 1000 वर्गफीट मे अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसपर पूर्व मे उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दिनांक 19.12.2024 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने हेतु पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। किन्तु मानचित्र स्वीकृत नही कराया गया। अतः स्थल को आज दिनांक 20/02/2025 को सील कर पुलिस अभिरक्षा मे दे दिया गया। वार्ड-दशाश्वमेध के अन्तर्गत प्रिय कुमार मणिक, प्रीयतम कुमार मणिक व श्रीसंत कुमार मणिक द्वारा भवन स0-डी0 40/59 लक्ष्मणपुरा मे लगभग 900 वर्गफीट मे अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसपर पूर्व मे उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत दिनांक 28.12.2024 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने हेतु पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। किन्तु मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया। अतः स्थल को आज दिनांक 20/02/2025 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया। इसी क्रम मे वार्ड-चेतगंज के अन्तर्गत आशुतोष कुमार सिंह पुत्र स्व0 रामवृक्ष सिंह द्वारा भवन स0-सी0 27/137-9 रमापुरी कालोनी जगतगंज चेतगंज में लगभग 3000 वर्गफीट मे अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसपर पूर्व मे उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दिनांक 18.12.2024 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थीं, सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने हेतु पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 21.02.2025

वाराणसी में दो दिवसीय मण्डलीय शाकभाजी, फल एवं पुष्प प्रदर्शनी

☐ वीडीए, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, नगर निगम, पर्यटन, उद्योग विभाग, निजी पौधशालाओं और शीतगृहों के सहयोग से आयोजन

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। विकास प्राधिकरण, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, नगर निगम वाराणसी, पर्यटन विभाग, उद्योग विभाग, निजी पौधशालाओं और शीतगृहों के सहयोग से राजकीय अलंकृत उद्यान, कम्पनीबाग में 22 और 23 फरवरी को दो दिवसीय मण्डलीय शाकभाजी, फल एवं पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है।

इस प्रदर्शनी के साथ दो दिवसीय कृषक गोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें वैज्ञानिक किसानों को मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, ग्रीन हाउस खेती सहित कृषि क्षेत्र के नवीनतम तरीकों की जानकारी देंगे। कृषकों को कृषि और बागवानी से संबंधित साहित्य भी प्रदान किया जाएगा।

प्रदर्शनी में सरकारी संस्थाओं, महाविद्यालयों, उद्यमियों, निजी पौधशालाओं, रेलवे और अन्य प्रतिष्ठानों के प्रतिभागी अपने प्रदर्श प्रस्तुत करेंगे। प्रदर्शनी 18 वर्गों और 154 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी, जिनमें शाकभाजी, फल, गुलाब के कटे फूल, डहेलिया, सजावटी फूल, गमलों में लगे पौधे, कैक्टस, सकुलेन्टस, औषधीय पौधे, वर्टिकल गार्डन और रंगोली जैसे विभिन्न प्रदर्शन शामिल हैं। विजेताओं को 500, 400 और 300 रुपये के पुरस्कार तथा स्मृति चिन्ह और प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। इस वर्ष प्रदर्शनी में बच्चों के लिए छोटा भीम और भालू की आकृतियों के साथ झूला और अन्य खेल लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, डाल्फिन, जीआई आम, बनारसी पान, रामनगर भांटा, करौंदा, भरूआ मीर्च और अन्य आकर्षक पौधों की टैपियरी और सेल्फी प्वाइंट्स भी तैयार किए जा रहे हैं प्रदर्शनी 22 और 23 फरवरी को प्रातः 8:00 बजे से लेकर रात्रि 9:00 बजे तक आमजन के अवलोकन के लिए खुली रहेगी।